



द्वितीय तल, लक्ष्मी टावर, न्यू बस स्टैंड रोड, शहडोल, (म.प्र.) - 484001



क्र मां क	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति- दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	पंजीकृत बंधक अचल संपत्तियों एवं द्रष्टीबंधक चल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आराक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि बिड वृद्धि राशि	
				11.Whither 03 12.Rice de-Stoner 02 13.Compressor 01 14.Paddy Cleaner 01 15.Vibro Paddy 02 16.Bucket elevator 20 17.Sortex 01 18.Compressor 01 19.Electric Weighbridge 01 20.Complete Iron Structure with Plate 21.Farms &Electric Fitting & Devices	रु	1,00,000/-
		3 . श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पिता स्व. सूर्य नारायण सिंह (गारंटी दाता एवं संपत्ति बंधक कर्ता) पता :- मकान क्रमांक -107 ,विध्य विहार कालोनी , ए . जी . कॉलेज के पास ,पडरा ,तहसील हुजूर ,जिला रीवा ,मध्य प्रदेश - 486001		(IV) तृतीय अचल संपत्ति का विवरण :- मकान क्रमांक -107 , विध्य विहार कॉलोनी ,ए.जी. कॉलेज के पास, पडरा ,तहसील हुजूर, जिला रीवा मध्य प्रदेश भू स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता :- ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पित स्व. सूर्य नारायण सिंह चतुसीमा:- उत्तर:- एच आई जी मकान,दक्षिण:- सड़क, पूर्व:- एच आई जी Sr 108,पश्चिम:- एच आई जी Sr 106 , कुल क्षेत्रफल:- 18 X 12= 216 वर्ग मीटर, आवासीय भूमि एवं उस पर निर्मित भवन	रु	90,00,000.00
					रु	9,00,000.00
					रु	1,00,000.00
		4 . श्री अजीत सिंह पिता स्व. वंश बहादुर सिंह (गारंटी दाता एवं संपत्ति बंधक कर्ता) पता :-वार्ड क्रमांक 14 , ग्राम लभौली , पोस्ट खेर,तहसील सिरमौर ,जिला रीवा , मध्य प्रदेश -486440		(V) चतुर्थ अचल संपत्ति का विवरण :- .खसरा क्रमांक. 55/1/1, मौज़ा मुठिगवां कला, जमौड़ी, सेंगरान, आर आई सर्कल सीधी गिर्द,तहसील गोपद बनास, जिला सीधी मध्य प्रदेश भू स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता :- श्री अजीत सिंह पिता स्व. वंश बहादुर सिंह चतुसीमा:- उत्तर:- सरकारी रास्ता, दक्षिण:- बिरेश सिंह की भूमि, पूर्व:- सरकारी रास्ता, पश्चिम:- निजी भूमि से रास्ता , कुल क्षेत्रफल:- 0.456 हेक्टर, आवासीय भूमि कब्जे का प्रकार:- सांकेतिक कब्जा ❖ 13.2 नोटिस की दिनांक :- 19.09.2025 ❖ 13.4 नोटिस की दिनांक :- 02.01.2026	रु	1,80,00,000.00
					रु	18,00,000.00
					रु	1,00,000.00



विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.bank.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता **PSB Alliance** के वेबपोर्टल <https://baanknet.com> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर **91-82912-20220**, प्राधिकृत अधिकारी या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल मध्य प्रदेश (Email : recvshahro@centralbank.bank.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण / जानकारी हेतु : संबंधित शाखा :- रीवा (म.प्र.) मोब न:- **70000-85241**, से बैंकिंग कार्य दिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण हेतु संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक :- **16.02.2026** से **21.02.2026** को कर सकते हैं। संपत्ति पर लगने वाला बकाया संपत्ति कर (टैक्स), बिजली - पानी बिल एवं अन्य देयताओं को संपत्ति क्रेता को स्वयं ही वहन करना होगा। उपरोक्त संबंधित सभी ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन **30 (तीस दिन)** दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
For Central Bank of India

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Auth. Signatory
क्षेत्रीय कार्यालय (7005) शहडोल (म.प्र.)
Regional Office, Shahdol (M.P.)

दिनांक: **13.02.2026**
स्थान: शहडोल (म.प्र.)



कृते सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

(Handwritten signatures)



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - SHAHDOL

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक :- 26.03.2026
विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
26.03.2026 समय: दोपहर 12.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक	26.03.2026 साँय 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
- नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – दिनांक:- 26.03.2026 को (समय: दोपहर 12.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
- विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल <http://www.centralbankofindia.bank.in> पर आएँ अथवा ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) है।
- निविदाकर्ता <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर विजिट कर सकते हैं जहाँ निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफॉर्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ईएमडी वॉलेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/(RTGS)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।
कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।
- ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता-PSB Alliance Pvt Ltd द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय Unit 1, Third Floor, VIOS Commercial Tower, Near Wadala Truck Terminal, Wadala East, Mumbai-400037 में है। इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://ebikray.in>



(Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.bank.in>, <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का PSB Alliance Pvt Ltd के पोर्टल (<https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 91-82912-20220 या E-mail-id support.baanknet@psballiance.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए (EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT/RTGS) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) निविदाकर्ता के ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय दिनांक:- 26.03.2026 साँय 4.00 बजे तक।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धृत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में संबंधित संपत्ति के सामने उद्धृत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सुत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा। (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।



13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बड़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
5357325608	AUTHORISED OFFICER RO SHAHDOL	CBIN0280787 / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शहडोल, शहडोल

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समयावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
16. सभी विक्रय प्राप्ति के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियाँ, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊँचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
18. सम्पत्ति की बिक्री जहां है जैसी है, जो है जैसी है के आधार पर की जा रही है। निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार/देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है (अगर कोई है)। आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध (PSB Alliance Pvt Ltd) के वेब पोर्टल <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) और www.centralbankofindia.bank.in पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।



21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि न सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाय, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.
23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबंधित शाखा:- रीवा (म.प्र.) मोब न:- 70000-85241, से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए श्री रामा कान्त मिश्रा (प्राधिकृत अधिकारी) (मोबा:-91-96930-96247), श्री हर्षित श्रीवास्तव (मोबा:- 91- 63878-24718) , श्री संजय कैन (मोबा:-91-94075-86814) , क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल, ई-मेल - recvshahro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : शहडोल
दिनांक : 13.02.2026



कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
For Central Bank of India

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Auth. Signatory
क्षेत्रीय कार्यालय (7005) शहडोल (म.प्र.)
Regional Office, Shahdol (M.P.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

bhaskarhindi.com

लाख रुपये और सीएसबी बैंक पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने नवी फिनसर्व पर 3.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जबकि आईआईएफएल फाइनेंस पर 5.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

कंपनी को अमेरिका से स्पेशल लाइसेंस मिला है। यह लाइसेंस अमेरिकी सरकार के विदेशी संपत्ति निर्यात कार्यालय ने दिया है। इसलिए रिलायंस प्रतिबंधों का तेल की जगह ले सकता है।

नियम बनेंगे।

दर्ज किया जाय।

सकले हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: शहडोल, मध्य प्रदेश - द्वितीय तल, तक्ष्मी टावर, न्यू बस स्टैंड रोड, शहडोल (म.प्र.)-484001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 6 (2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्यभूति-दाता को यह नोटिफा दिया जाता है की नीचे वर्णित अवल एवं बल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को 'उधार है, जैसे है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है' एवं 'वायव्य रहित' के आधार पर निम्नलिखित नदानी, प्रत्याभूति - दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूति लेनदार को बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बचे जाय हेतु विकृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	आवृत्त/भूत/प्रत्याभूति-दाता/जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग शुल्क निम्न अधिकृत निम्न बकाया राशि (मांग शुल्क व अनुगत)	पंजीकृत बंधक अवल एवं बल संपत्तियों का विवरण/कम्पे का प्रकार	आवृत्त शुल्क अधिकृत बरोह जमा राशि विड वृद्धि राशि
1.	मेसर्स अग्रजगुप्त साइस मिल प्रोपराइटर श्रीमती दीपा सिंह पति श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह (सूत उद्योग कर्ता) पता:- ग्राम एवं पोस्ट सविनी, तहसील सिरसौर, जिला - रीवा, मध्य प्रदेश - 486440	19.09.2025 02.01.2026 5.53.22.164/- + भीमका बाजार + विविध व्यव	(I) प्रथम अवल संपत्ति का विवरण: खसरा क्रमांक 886/2 (क्षेत्रफल 0.146 हेक्टर) एवं खसरा क्रमांक 889/1 (क्षेत्रफल 0.061 हेक्टर), कुल क्षेत्रफल 0.207 हेक्टर, मोजा सविनी, ग्राम एवं पोस्ट सविनी, जमरल क्रमांक 528, पटवारी हल्का सविनी क्रमांक 53, आर आई सर्वेक्षण बैकग्राउंड, तहसील सिरसौर, जिला - रीवा मध्य प्रदेश। (II) द्वितीय अवल संपत्ति का विवरण: खसरा क्रमांक 886/2 (क्षेत्रफल 0.146 हेक्टर) एवं खसरा क्रमांक 889/1 (क्षेत्रफल 0.061 हेक्टर), कुल क्षेत्रफल 0.207 हेक्टर एवं उस पर निर्मित भवन एवं इकाई। (III) तृतीय अवल संपत्ति का विवरण: खसरा क्रमांक 886/2 (क्षेत्रफल 0.121 हेक्टर) एवं खसरा क्रमांक 889/1 (क्षेत्रफल 0.324 हेक्टर), कुल क्षेत्रफल 0.445 हेक्टर, मोजा सविनी, ग्राम एवं पोस्ट सविनी, जमरल क्रमांक 528, पटवारी हल्का सविनी क्रमांक 53, आर आई सर्वेक्षण बैकग्राउंड, तहसील सिरसौर, जिला रीवा मध्य प्रदेश, पूरा स्वामी/संपत्ति बंधककर्ता : श्रीमती दीपा सिंह पति श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, बचुलीमा : उच्चर - सविनी मुंडियारी मार्ग, लखौ - विहारा की गाँव, पश्चिम - रामलखन पाण्डेय की भूमि, कुल क्षेत्रफल - खसरा क्रमांक 886/2 (क्षेत्रफल 0.121 हेक्टर) एवं खसरा क्रमांक 889/1 (क्षेत्रफल 0.324 हेक्टर), कुल क्षेत्रफल 0.445 हेक्टर एवं उस पर निर्मित भवन एवं इकाई। (IV) चतुर्थ अवल संपत्ति का विवरण: Details & No. of Items: 1. Pneumatic Husker - 02, 2. Husk Aspiration fan with Motor - 02, 3. Rice Sifter - 02, 4. Ran Dasher - 01, 5. Rice Length Grader - 12, 6. Silky water jet Salk - 02, 7. Blower - 01, 8. Elevator - 06, 9. Pipes - 05, 10. Paddy Separator - 01, 11. Whither - 03, 12. Rice de-Stoner - 02, 13. Compressor - 01, 14. Paddy Cleaner - 01, 15. Vibro Paddy - 02, 16. Bucket elevator - 20, 17. Sorter - 01, 18. Compressor - 01, 19. Electric Weighbridge - 01, 20. Complete Iron Structure with Plate, 21. Farms & Electric Fitting & Devices	2,45,00,000/- 24,50,000/- 1,00,000/-
2.	श्रीमती दीपा सिंह पति श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह (सूत उद्योग कर्ता) पता:- ग्राम कानोडा - 107, विद्युत विहार कानोडा, ए. जी. कॉलेज के पास, पडरा, तहसील - हनुजूर, जिला - रीवा, मध्य प्रदेश - 486440		(V) पंचम अवल संपत्ति का विवरण: खसरा क्रमांक 55/1/1, ग्राम - मुंडियारी कला, मोजा मुंडियारी कला, हल्का - जमीनी संग्राम, आर आई सर्वेक्षण बैकग्राउंड, तहसील सिरसौर, जिला - रीवा मध्य प्रदेश, पूरा स्वामी/संपत्ति बंधककर्ता : श्री अजोत सिंह पति स्व. बंश बहादुर सिंह पति, बचुलीमा : उच्चर - सरकारी रास्ता, दक्षिण: विरेह की भूमि, पुरी: सरकारी रास्ता, पश्चिम - निजी भूमि से रास्ता, कुल क्षेत्रफल - 0.456 हेक्टर, आवसीय भूमि, कम्पे का प्रकार - सांकोति कम्पे।	90,00,000/- 9,00,000/- 1,00,000/-
3.	श्री अजीत सिंह पति स्व. बंश बहादुर सिंह पति (गोदी दाता एवं संपत्ति बंधककर्ता) पता:- वार्ड क्रमांक 14, ग्राम लानी, पोस्ट रीवा, तहसील - सिरसौर, जिला - रीवा, मध्य प्रदेश - 486440		(VI) षष्ठ अवल संपत्ति का विवरण: खसरा क्रमांक 55/1/1, ग्राम - मुंडियारी कला, मोजा मुंडियारी कला, हल्का - जमीनी संग्राम, आर आई सर्वेक्षण बैकग्राउंड, तहसील सिरसौर, जिला - रीवा मध्य प्रदेश, पूरा स्वामी/संपत्ति बंधककर्ता : श्री अजोत सिंह पति स्व. बंश बहादुर सिंह पति, बचुलीमा : उच्चर - सरकारी रास्ता, दक्षिण: विरेह की भूमि, पुरी: सरकारी रास्ता, पश्चिम - निजी भूमि से रास्ता, कुल क्षेत्रफल - 0.456 हेक्टर, आवसीय भूमि, कम्पे का प्रकार - सांकोति कम्पे।	1,80,00,000/- 18,00,000/- 1,00,000/-

बिष्णु के निम्नानुसार और तब के मांगों के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूति लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.bank नि देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल <https://banknet.com> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220, प्राधिकृत अधिकारी या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (E-mail: rcshahdol@centralbankindia.bank) से सरो करीबतः नि कार्यालय के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीघ्र परतर्वाज/दुसरे परतर्वाज/संपत्ति के निरीक्षण हेतु: बंधककर्ता - रीवा (म.प्र.) - 70000-85241, से बैंकिंग कार्य दिवस में कार्यालय के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक मौलिकता संपत्ति को संपत्ति बंधककर्ता शाखा से संपर्क कर दिनांक:- 16/02/2026 से 21/02/2026 को कर सकते हैं। संपत्ति पर लगने वाला बकाया संपत्ति कर (टैक्स), बिजली-पानी बिल एवं अन्य देवताओं को संपत्ति केता को वहन करना होगा। उपरोक्त संपत्ति दिनांक: 13.02.2026, रखा: शहडोल (म.प्र.)

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी



कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य कर एन्टी एन्टी इवेनन ब्यूरो, सतना, म.प्र. द्वितीय तल विन्ड्यु वेब्स ऑफ कॉमर्स भवन, सफ्टि हाउस के पास सतना म.प्र.

E-mail: dc.aebstn@mpfax.mp.gov.in



सतना, दिनांक 12.02.2026

नीलामी की सूचना (पंचम)

सर्व सभागत को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा आज जमा क्रमांक KA-19-AE-2956 से रवे मान का सूची बंदी द्वारा निम्नसार (नीलामी) The MPSTG Rules, 2017 के नियम 144 एवं 144A के अंतर्गत दिनांक 25.02.2026 को सूची 11 00 बजे कार्यालय सूचना अनुसार राज्य कर एन्टी इवेनन ब्यूरो, सतना, द्वितीय तल विन्ड्यु वेब्स ऑफ कॉमर्स भवन, सफ्टि हाउस के पास, सतना (म.प्र.) में जी एस्टी. में पंजीकृत व्यक्तियों को किया जाता है। नीलाम किये जाने वाले भवन का विवरण:

SN	Commodity name	HSN	UQM	QUANTITY	करवैधता राशि (IN Rs.)	अमानत राशि (IN Rs.)	न्यूनतम बंदी राशि (IN Rs.)
1	HANS CHAAP TOBACCO	2403	POUCHES	448500	852509/-	25000/-	852509/-
2	COOL UP FILTER TOBACCO	2403	POUCHES	156672	967857/-	25000/-	967857/-

नीलामी की शर्तें - 1. बंदी में भाग लेने के लिए बंदीदाता को बंदी प्रतिभूति के रूप में उपरोक्त तब राशि अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट "ASSISTANT COMMISSIONER (STATE TAX), ANTI-EVASION BUREAU, SATNA (M.P.)" के नाम से जमा कराने होंगे। अस्वरूप बंदीदाता को अमानत राशि, बंदी निष्ठाता के उपरान्त लीटा दी जायेगी एवं बंधक बंदीदाता की प्रतिभूति राशि बंदी राशि के विरुद्ध समर्थित होकर ली जायेगी। 2. बंदीदाता को जी.ए.ए.टी. में पंजीकृत होना आवश्यक है। बंदी में भाग लेने से पूर्व जी.ए.ए.टी. रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र व केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई पंचायत एवं जी.ए.ए.टी. प्रमाणपत्र में जमा कराना होगा। 3. बंधक बंदीदाता को नीलामी में प्रदान किये गये भवन के विवरण किये गये भूमापन की राशि पर नियमनुसार RCM पर जी.ए.ए.टी. प्रमाणपत्र में जमा कराना होगा। 4. भवन जहां है, जैसी स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलाम किया जाएगा। 5. बंधी लगाने वाले से यह अवकाश की जाती है कि वह बंदी लेनदार से पूर्व भवन का पूरा अवलोकन कर तब भवन के विवरण के बारे में अपने अधिकारी को सूचित करे उपरान्त की बंदी लेनवा। 6. प्रत्येक सूचना बंदीदाता को अमानत राशि (नीलामी राशि) की एक वृद्धि (25 प्रतिशत) नीलामी राशि में हो। 7. बंधक/बंदी इकाई के द्वारा जमा करनी के एवं शेरा तीन वृद्धि (75 प्रतिशत) शेर इकाई के द्वारा नीलामी की बंधक से 15 प्रतिशत में जमा कराना अनिवार्य है। 8. केन्द्र "ASSISTANT COMMISSIONER (STATE TAX), ANTI-EVASION BUREAU, SATNA (M.P.)" के पास में रवे होगा। DRC-1 में निम्नलिखित अधिकारी राशि जमा नहीं कराने एवं अमानत राशि एवं प्राप्त अधिकारी 25 दिवस राशि जमा कर ली जायेगी। 9. नीलामी प्रक्रिया से संबंधित समस्त विवरण नीलामी की राशि का अवलोकन करवाया सूचना अनुसार राज्य कर एन्टी इवेनन ब्यूरो, सतना, द्वितीय तल विन्ड्यु वेब्स ऑफ कॉमर्स भवन, सफ्टि हाउस के पास सतना (म.प्र.) में नीलामी एवं बंधककर्ता के मांगों की किया जा सकता है। भवन का अवलोकन करनी करवाय: बंधक और जमा, जिला निवासी मध्य प्रदेश के परिसर में राई बंधक क्रमांक KA-19-AE-2956 में कार्यालय समय में करनी की किया जा सकता है। 10. भवन सूचनी बंदी की पूर्ण राशि जमा करने के उपरान्त की जायेगी। बंदी के पचास सत्रस व्यक्त अधिकारी बंदीदाता को सवा को भवन करना होगा। 19. अन्य कोई जानकारी अथवा विवरण प्राप्त करने हेतु श्री हरिहर शर्मा, राज्य कर निरीक्षक, म.प्र. 7987809617 पर संपर्क किया जा सकता है। G-25783

(राजेश मेहता, सहायक आयुक्त, राज्य कर, एन्टी इवेनन ब्यूरो, सतना म.प्र.)

ताला तोड़ा तो शव देख बहल गए
परजिन: पुलिस को कमरे से बच्च
आने की सूचना मिली थी। पुलिस
पहुँची तो पता चला कि पंखेनाथ
थाना में जिस युवती की पुमशुशी दर्ज
थी थी, वह कन्या युवती के दोस्त का
ही। पुलिस ने युवती के परिवार को
शिनारक के लिए बुलाया। रोमनादान
से श्मकन पर पलंग पर युवती मृत
हालत में दिखी। शव के ऊपर कंबल
था। ताला तोड़ पुलिस कमरे में घुसी
तो रस्सी के टुकड़े मिले। युवती गिन
अवस्था में थी। मूह में काड़ा दसा
गया था। ब्रेकर के दाह हिस्से पर चोट
के निशान थे पर पर घाव मिला। मौजे
से परिजान ने उसे पहचाना। कमरे का
दृश्य देख युवती के पिता बहववास हो
गए। जॉन। डीसीपी कृष्ण
लालचौधरी ने बताया, अब तक की
जाँच में सामने आया है कि गिला
घोटकर युवती को मारा है। हालांकि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि होगी।
अंदेशा है कि रस्सी से गिला घोटो गया।
गिरफ्तार करने के फैसले को तुरंत करार है।

कैसे खेलें: वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आए। कोई अंक दोबारा नहीं आए।

3	2	1	5	7	8	6	4	9
4	5	9	3	1	6	2	7	8
8	6	7	9	4	2	5	3	1
7	4	3	2	5	9	1	8	6
9	1	6	4	8	7	3	2	5
5	8	2	6	3	1	4	9	7
6	7	8	1	2	3	9	5	4
1	3	4	8	9	5	7	6	2
2	9	5	7	6	4	8	1	3

पता: अन्नपुष्पा स्कूल किशोर कुमार संगीत विद्यालय के सामने भरहट नगर सतना (म.प.) मो. 9993242990 8359817075

अचल एवं चल संपत्तियों का विक्रय नोटिस: ई-नीलामी दि. 28/03/2028
क्षेत्रीय कार्यालय: शहडोल, मध्य प्रदेश - द्वितीय तल, लक्ष्मी टावर, न्यू बस स्टैंड रोड, शहडोल (म.प्र.)-484001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 6 (2) के परस्परक के साथ पठित विविध आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अमल एवं बल आस्तियों के विषय हेतु 30 (सीत) दिनांक ११-नोवामा विषय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उद्यम लेने वाले और परामर्शभूत-दाता को यह नोटिस दिलाना है कि हमें नोटिस प्राप्त एवं हम नोटिस को प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के पास मिली/प्रसारित है, का प्रतीकालक कबजा (नीचे वर्णित) प्रतिभूति लेनदार प्रतिभूति अधिकार का प्रदायिका है। हमें "अर्जेंट है, जेसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर नि-नलिखित देनदारों, प्रयायभूत-दाता तथा जमानदारों की प्रतिभूति लेनदारों की कबजा राशि को बचानी हेतु है। नोटिस

प्रदायक को हमें दायित्व विनियमन सारा है।

[illegible][illegible]

कृते सेन्दूरल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत